

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 131 / 2017

दर्ज दिनांक:-11.11.2017

1. रघुनाथसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. औकारसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार उपमन

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-13.12.2017

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। वकील वादी उप0। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से दावा वादी प्रमाणित नहीं है तथा प्रस्तुत राजीनामा भी राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित नहीं है। अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय से पृथक लिखा जाकर सुनाया गया। सामिल रहे पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर